बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक–10 / न्याय–05–72 / 2010सा0प्र0.......8489....... / पटना, दिनांक–11.6./2015

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना–1002 दिनांक–09.10.2006 द्वारा गठित बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2006 का संशोधन और सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उसको अंगीकरण के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– यह नियमावली बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 1 में संशोधन--उक्त नियमावली, 2006 के नियम 1 के उप नियम (i) में प्रयुक्त शब्द "क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक" शब्द "क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक / आशुटंकक" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 2 (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"2 (क). 'विभाग' से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग।"

(4) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3 के शीर्षक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"3. **संवर्ग का गठन एवं स्तर**" ।–

(5) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3 (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(ख). यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।"

(6) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3 (ड़) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(ड़). आशुलिपिक / टंकक संवर्ग की विभिन्न कोटियों का नाम एवं पद सोपान निम्नरूपेण विहित किए जायेंगे:–

क्र0	कोटि	स्तर
1	आशुलिपिक, ग्रेड III/आशुटंकक III	मूल कोटि
2	आशुलिपिक, ग्रेड II/आशुटंकक II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
3	वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I/आशुटंकक I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर
4	प्रधान आशुलिपिक/ प्रधान आशुटंकक	प्रोन्नति का तृतीय स्तर

उक्त पदों का वेतनमान् वही होगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

नोटः– पदों की जिलावार अनुमान्यता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 (क), (ख) एवं (ग) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगे:–

"(क). आशुलिपिक/आशुटंकक के पद पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति होगी जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडियट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण साथ–साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्षता प्राप्त रहना अनिवार्य होगा।

(ख). नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(ग). नियुक्ति पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की गणना कर 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेंगे।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–7 (ii) एवं (iii) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगें:–

"(ii). विभागीय परीक्षा आशुलेखन एवं टंकण दक्षता की जाँच के लिए होगी। इसके अतिरिक्त 'कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा में असफल होने अथवा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में सफल नहीं होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतनवृद्धियाँ उक्त परीक्षाओं में उर्त्तीणता प्राप्त होने तक रूकी रहेंगी।

"(iii). नियुक्त कर्मी परीक्ष्यमान काल की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षण पूरा करने एवं विभागीय परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उर्त्तीण रहने पर संवर्ग में संपुष्ट किया जायेंगे।"

9. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"8. **प्रोन्नति।**–संवर्ग में संपुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति संवर्ग में वरीयता के आधार पर एवं समाहरणालय स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी।

(ii) एक कोटि से दूसरे कोटि में प्रोन्नति के लिए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि पूरी होना तथा वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियाँ अनुकूल होना आवश्यक होगा।

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम (iii) जोड़ी जायगी।

"(iii) जिला स्तरीय संवर्ग होने के बावजूद अपरिहार्य स्थिति में किसी समाहरणालय में आशुलिपिक की कमी के कारण संवर्ग के किसी कर्मी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने की शक्ति विभाग की होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/न्याय–05–72/2010सा0प्र0 8489 / पटना, दिनांक–11.6./2015

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/संयुक्त सचिव, प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/न्याय–05–72/2010सा0प्र0 8489 / पटना, दिनांक–11.6.2015

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना/राज्य अभिलेखाकार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त कार्यालय, पटना/प्रभारी, आई0 डब्लू0 डी0 एम0एस0, टी0सी0एस0 कोषांग, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।